अध्याय - V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

अध्याय-V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

5.1 परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की स्थापना जन–कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों के संचालन के लिए तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने के लिए की जाती है। पीएसयू में राज्य सरकार की कम्पनियाँ, सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। यह अध्याय पीएसयू के वित्तीय निष्पादन का सारांश प्रस्तुत करता है।

5.1.1 सरकारी कम्पनियों, सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की परिभाषा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक सरकारी कम्पनी को एक ऐसी कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है और इसमें वह कम्पनी भी सम्मिलित है जो सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कम्पनी[46] को इस अध्याय में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के रूप में दर्शाया गया है। सांविधिक निगम वे निगम हैं जो विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधियों के तहत स्थापित किए गए थे।

5.1.2 लेखापरीक्षा के अधिदेश

सरकारी कम्पनियों एवं सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) से 143 (7) के प्रावधानों के साथ पठित भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, सीएजी सरकारी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करते हैं एवं उन तरीकों पर निर्देश देते हैं जिनसे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अतिरिक्त, सीएजी अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल सीएजी द्वारा किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

5.1.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का स्वरूप एवं अध्याय में इनकी व्याप्ति

31 मार्च 2021 को, उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 115 पीएसयू (94 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम[47]), 44 अकार्यरत[48] पीएसयू सहित थे। वर्ष 2020–21

---

[46] राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर 2014 द्वारा निर्गत कम्पनी (कठिनाइयों को दूर करना), सातवाँ आदेश 2014।

[47] उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम।

[48] अकार्यरत पीएसयू वे हैं जिन्होंने अपने क्रियाकलाप करना बन्द कर दिया है।

की अवधि के दौरान, दो नई सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ यथा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल) एवं डीएमआईसी इण्टीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड को जोड़ा गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कोई भी उपक्रम स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नही थे।

इस अध्याय में 30 नवंबर 2021 तक प्राप्त नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर 38 पीएसयू (ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 27 पीएसयू, जिनका विस्तृत वर्णन ***परिशिष्ट–5.1*** में दिया गया है) के वित्तीय निष्पादन को सम्मिलित किया गया है। इस अध्याय में 77 पीएसयू (70 सरकारी कम्पनियाँ, चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम सहित) सम्मिलित नहीं हैं जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या विचलन/परिसमापन के अधीन थे या प्रथम लेखे 30 नवम्बर 2021 तक प्राप्त नहीं हुए थे जिनका विस्तृत वर्णन ***परिशिष्ट–5.2*** में दिया गया है। तथापि, यह अध्याय राज्य के सभी पीएसयू के सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश, बजटीय सहायता एवं उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान **(प्रस्तर 5.2, 5.2.2 एवं 5.2.2.1)** को सम्मिलित करता है।

5.1.4 राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का टर्नओवर

पीएसयू राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, यह पीएसयू राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में भी उल्लेखनीय योगदान प्रदान करते हैं। पीएसयू के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन पीएसयू की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। 31 मार्च 2021[49] को समाप्त चार वर्ष की अवधि के लिए पीएसयू के टर्नओवर (पीएसयूवार विवरण **परिशिष्ट–5.1** में) एवं उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विवरण **तालिका 5.1** में दिया गया है।

तालिका–5.1: उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी के सापेक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू का विवरण	56,651	61,857	66,378	66,378[50]
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 27 पीएसयू का विवरण	7,433	7,316	6,752	6,664
कुल टर्नओवर (38 पीएसयू)	64,084	69,173	73,130	73,042
उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी[51]	14,16,006	15,84,764	16,87,818	17,05,593
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के टर्नओवर का उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी से प्रतिशत	4.00	3.90	3.93	3.89
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के टर्नओवर का उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी से प्रतिशत	0.52	0.46	0.40	0.39

[49] 30 नवम्बर 2021 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

[50] वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिए ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का टर्नओवर समान माना गया है क्योंकि वर्ष 2020–21 के लेखे प्राप्त नहीं हुए थे।

[51] वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए वर्तमान कीमतों पर जीएसडीपी को केंन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया गया था, इसलिए 2017–18 से 2019–20 के लिए जीएसडीपी के संदर्भ में विभिन्न मानकों का प्रतिशत अनुपात/उछाल जो कि पहले की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाया गया है, को भी संशोधित किया गया।

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के टर्नओवर में परिवर्तन प्रतिशत में	-	9.19	7.31	0.00
पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के टर्नओवर में परिवर्तन प्रतिशत में	-	(-)1.57	(-)7.71	(-)1.30
पूर्ववर्ती वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में जीएसडीपी में परिवर्तन प्रतिशत में	-	11.92	6.50	1.05

स्रोतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 02 अगस्त 2021 को जारी जीएसडीपी आंकड़ों एवं पीएसयू के टर्नओवर के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू के टर्नओवर में वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 की अवधि के दौरान 7.31 प्रतिशत से 9.19 प्रतिशत के मध्य वृद्धि के साथ बढ़त की प्रवृत्ति दिखाई दी। चूँकि, वर्ष 2020–21 के लिए किसी भी ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू द्वारा कोई लेखा प्रस्तुत नही किया गया इसलिए वर्तमान वर्ष के दौरान विकास दर को विश्लेषित नहीं किया जा सका।

तथापि, ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 27 पीएसयू के टर्नओवर में 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी। 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान टर्नओवर में कमी 1.30 प्रतिशत से 7.71 प्रतिशत के मध्य थी जबकि 2018–19 से 2020–21 के दौरान उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में वृद्धि 1.05 प्रतिशत से 11.92 प्रतिशत के मध्य थी।

चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दीर्घकालिक अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की एक उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी के 6.40 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के सापेक्ष 38 पीएसयू के टर्नओवर में पिछले तीन वर्षों के दौरान 4.46 प्रतिशत की कम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गयी। इससे 2017–18 से 2020–21 की अवधि के दौरान जीएसडीपी में, पीएसयू (ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 27 पीएसयू) के टर्नओवर की हिस्सेदारी घटकर क्रमशः 4.00 प्रतिशत से 3.89 प्रतिशत एवं 0.52 प्रतिशत से 0.39 प्रतिशत हो गयी।

5.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

31 मार्च 2021 को, 115 पीएसयू (94 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम) में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य[52] द्वारा निवेशित पूंजी को **चार्ट 5.1** में दर्शाया गया है।

[52] 'अन्य' में स्वामित्व कम्पनी, वित्तीय संस्थान एवं बैंकों इत्यादि द्वारा किया गया निवेश सम्मिलित है।

चार्ट 5.1: सरकारी कम्पनियों, सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में निवेश की संरचना

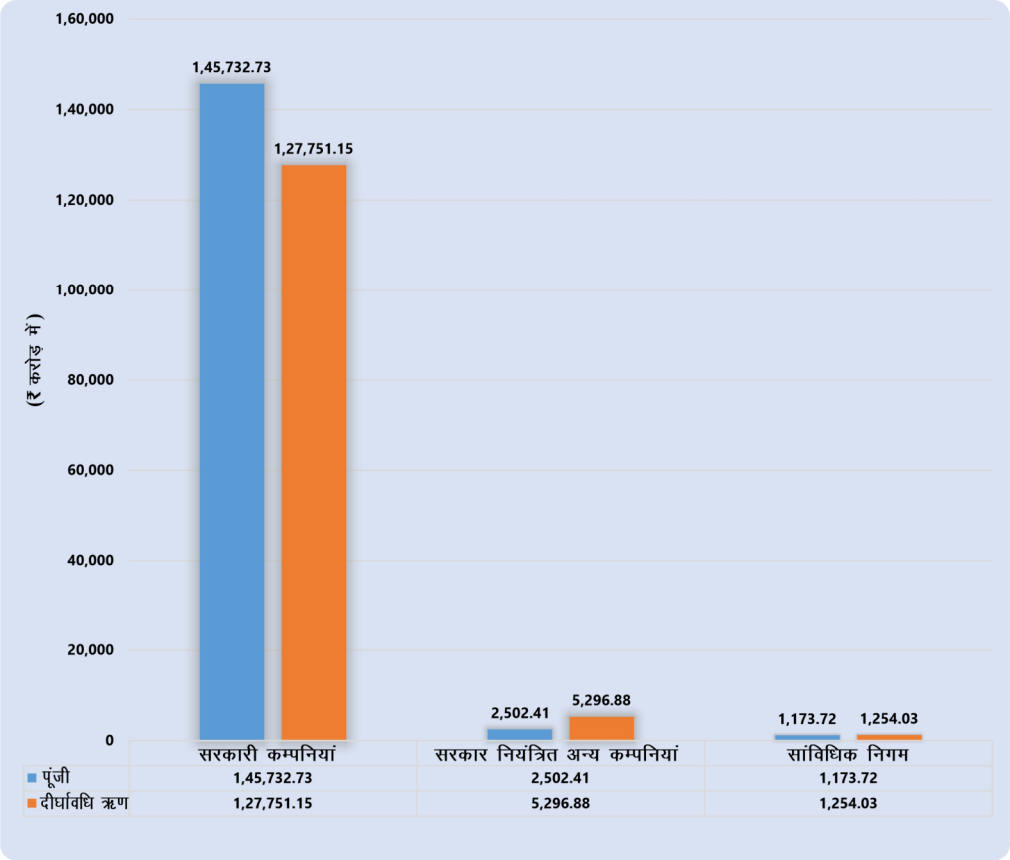

31 मार्च 2021, को 115 राज्य पीएसयू में क्षेत्र–वार निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) का सारांश **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्र–वार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	पीएसयू की संख्या	निवेश								महायोग
		पूंजी				दीर्घावधि ऋण				
		जीओयूपी	जीओआई	अन्य	योग	जीओयूपी	जीओआई	अन्य	योग	
इस अध्याय में सम्मिलित पीएसयू										
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू	11	1,34,515.87	0.00	2,213.50	1,36,729.37	406.11	0.00	1,13,207.97	1,13,614.08	2,50,343.45
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू	27	2,841.40	2,345.56	2,736.83	7,923.79	5,215.14	4,915.95	4,144.51	14,275.60	22,199.39
इस अध्याय में सम्मिलित पीएसयू का योग	**38**	**1,37,357.27**	**2,345.56**	**4,950.33**	**1,44,653.16**	**5,621.25**	**4,915.95**	**1,17,352.48**	**1,27,889.68**	**2,72,542.84**
इस अध्याय में सम्मिलित नहीं किये गये पीएसयू										
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू	2	0.00	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू	75	3,468.88	132.56	1,151.99	4,753.43	2,434.15	1.10	3,977.13	6,412.38	11,165.81
इस अध्याय में सम्मिलित नहीं किये गये पीएसयू का योग	**77**	**3,468.88**	**132.56**	**1,154.26**	**4,755.70**	**2,434.15**	**1.10**	**3,977.13**	**6,412.38**	**11,168.08**
महायोग	**115**	**1,40,826.15**	**2,478.12**	**6,104.59**	**1,49,408.86**	**8,055.40**	**4,917.05**	**1,21,329.61**	**1,34,302.06**	**2,83,710.92**

स्रोतः वार्षिक लेखाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित आंकड़े।

31 मार्च 2021 को, इस अध्याय में शामिल 11 ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,50,343.45 करोड़ था। निवेश में 54.62 प्रतिशत पूंजी एवं 45.38 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण (₹ 406.11 करोड़) कुल दीर्घावधि ऋणों का 0.36 प्रतिशत थे जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 99.64 प्रतिशत (₹ 1,13,207.97 करोड़) वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया था जिसका विस्तृत वर्णन ***परिशिष्ट–5.3*** में है।

31 मार्च 2021 को, इस अध्याय में सम्मिलित 27 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू में कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 22,199.39 करोड़ था। निवेश में 35.69 प्रतिशत पूंजी एवं 64.31 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 36.53 प्रतिशत (₹ 5,215.14 करोड़) थे, जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 63.47 प्रतिशत (₹ 9,060.46 करोड़) भारत सरकार एवं वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किये गये थे जिसका विस्तृत वर्णन ***परिशिष्ट–5.3*** में है।

5.2.1 ऋण देयताओं को पूरा करने के लिए सम्पत्ति की पर्याप्तता

कुल ऋण का कुल सम्पत्ति से अनुपात यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंडों में से एक है कि क्या कोई कम्पनी शोधनक्षम रह सकती है। शोधनक्षम माना जाने के लिए, एक इकाई की सम्पत्ति का मूल्य उसके ऋण/कर्ज के योग से अधिक होना चाहिए। 31 मार्च 2021 को नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (18 सरकारी कम्पनियाँ, दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम) जिनमें अदत्त ऋण था, में दीर्घावधि ऋणों का कुल सम्पत्ति के मूल्य से व्याप्ति ***परिशिष्ट–5.4*** में दिया गया है और इसका संक्षिप्त विवरण **तालिका 5.3** के अंतर्गत दिया गया है।

तालिका 5.3: दीर्घावधि ऋणों की कुल सम्पत्ति से व्याप्ति

	सकारात्मक व्याप्ति				नकारात्मक व्याप्ति			
	पीएसयू की संख्या	दीर्घावधि ऋण (₹ करोड़ में)	सम्पत्ति (₹ करोड़ में)	ऋण से सम्पत्ति का प्रतिशत	पीएसयू की संख्या	दीर्घावधि ऋण (₹ करोड़ में)	सम्पत्ति (₹ करोड़ में)	ऋण से सम्पत्ति का प्रतिशत
सरकारी कम्पनियाँ	17	88,812.95	2,55,810.83	288.03	1	101.41	43.19	42.59
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	2	3,607.42	3,633.47	100.72	-	-	-	-
सांविधिक निगम	1	41.72	3,024.95	7,250.60	-	-	-	-
योग	**20**	**92,462.09**	**2,62,469.25**	**-**	**1**	**101.41**	**43.19**	**-**

21 पीएसयू में से, 20 पीएसयू में सकारात्मक व्याप्ति थी, जबकि एक पीएसयू (उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड) में ₹ 101.41 करोड़ के कुल बकाया दीर्घावधि ऋण जिसमें राज्य सरकार द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण ₹ 95.39 करोड़ सम्मिलित है के विरूद्ध केवल ₹ 43.19 करोड़ मूल्य की सम्पत्ति है। यह इंगित करता है कि यह पीएसयू अपनी देयताओं को स्वयं चुकाने की स्थिति में नहीं है और संवहनीय नही है।

5.2.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2021 को समाप्त विगत तीन वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में वर्ष के दौरान बजटीय सहायता (पूंजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी) का संक्षिप्त विवरण **तालिका 5.4** में दिया गया है।

तालिका 5.4: 2018–19 से 2020–21 के दौरान पीएसयू को बजटीय सहायता का विवरण

विवरण	2018-19		2019-20		2020-21	
	पीएसयू की संख्या	राशि[53] (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	राशि[53] (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	राशि[53] (₹ करोड़ में)
(अ) ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू						
अंशपूंजी की सहायता (i)	3[54]	13,409.18	3[54]	8,248.83	3[54]	10,568.47
दिए गए ऋण (ii)	1	615.45	-	0.00	-	0.00
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	2	17,157.09	2	19,065.56	2	10,349.30
कुल सहायता (i+ii+iii)	**3[55]**	**31,181.72**	**3[55]**	**27,314.39**	**3[55]**	**20,917.77**
(ब) ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू						
अंशपूंजी की सहायता (i)	3	55.60	4	288.63	7	529.13
दिए गए ऋण (ii)	8	990.49	8	403.32	6	1,673.16
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	15	1,721.09	17	712.21	18	1,462.46
कुल सहायता (i+ii+iii)	**25[55]**	**2,767.18**	**27[55]**	**1,404.16**	**25[55]**	**3,664.75**

स्रोत: पीएसयू के वार्षिक लेखाओं, सरकारी आदेश एवं पीएसयू से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित।

मार्च 2021 को समाप्त हुए विगत तीन वर्षों के लिए पूंजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के लिए बजटीय सहायता से सम्बन्धित विवरण **चार्ट 5.2** में दिया गया है।

चार्ट 5.2: पूंजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के लिए बजटीय सहायता

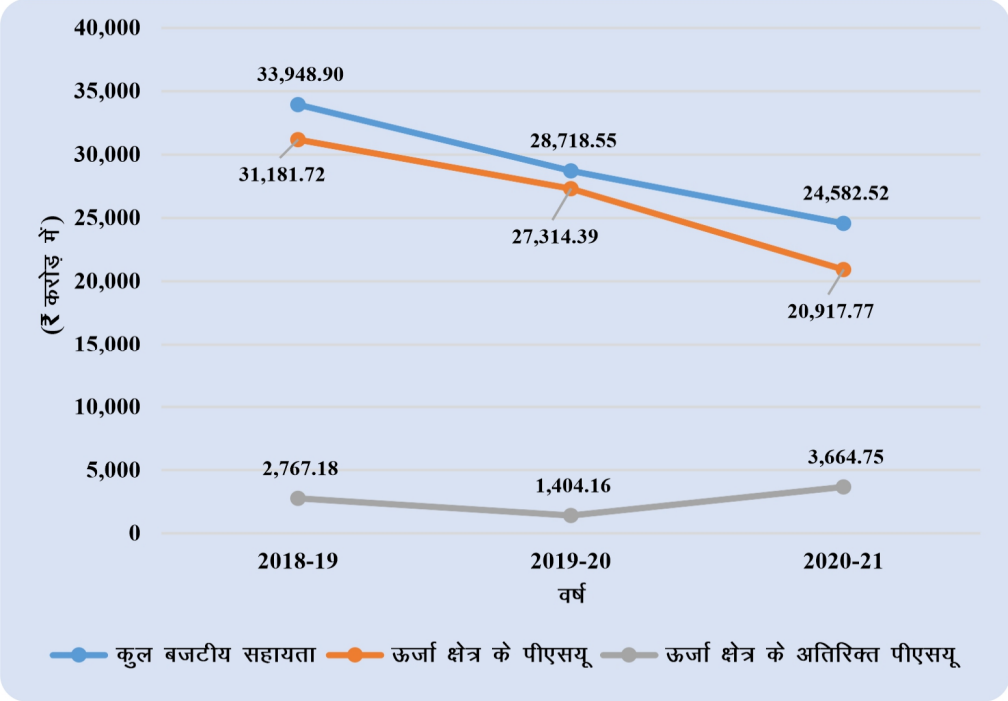

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू द्वारा प्राप्त वार्षिक बजटीय सहायता वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान क्रमशः ₹ 31,181.72 करोड़ ₹ 27,314.39 करोड़ एवं ₹ 20,917.77 करोड़ थी। 2020–21 के दौरान प्राप्त ₹ 20,917.77 करोड़ की बजटीय सहायता में क्रमशः ₹ 10,568.47 करोड़ एवं ₹ 10,349.30 करोड़ पूंजी एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में थी।

---

[53] राशि केवल राज्य बजट से जावक को दर्शाती है।

[54] उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार उनकी सहायक कम्पनियों में निवेश हेतु पूंजी देती है। अतः पूंजी के निवेश के उद्देश्य से, केवल स्वामित्व धारक कम्पनियों पर उनकी सहायक कम्पनियों की ओर से विचार किया गया है।

[55] यह आंकड़ा उन पीएसयू की संख्या को दर्शाते हैं, जिन्हें एक या अधिक मदों से राशि प्राप्त की है यथा पूंजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी।

ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुदान/सब्सिडी में, विगत वर्षों की तुलना में 2019–20 में वृद्धि हुई और 2020–21 में कमी आई। 2019–20 के दौरान अनुदान/सब्सिडी में वृद्धि मुख्य रूप से उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) के अन्तर्गत हानियों के वित्त पोषण के लिए सब्सिडी में वृद्धि 2018–19 में ₹ 761.00 करोड़ से 2019–20 में ₹ 2,400.00 करोड़ के कारण थी। 2020–21 में ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू को उदय योजना के अन्तर्गत कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू को वार्षिक बजटीय सहायता वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान क्रमशः ₹ 2,767.18 करोड़, ₹ 1,404.16 करोड़ एवं ₹ 3,664.75 करोड़ थी। 2020–21 के दौरान प्राप्त ₹ 3,664.75 करोड़ की बजटीय सहायता में क्रमशः ₹ 529.13 करोड़, ₹ 1,673.16 करोड़ एवं ₹ 1,462.46 करोड़ पूंजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ₹ 1,462.46 करोड़ के कुल अनुदान में से, मुख्य रूप से अनुदान 2020–21 के दौरान उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (₹ 202.06 करोड़), प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड (₹ 220.00 करोड़) और आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड (₹ 294.00 करोड़) को प्रदान किये गये थे।

5.2.2.1 उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

राज्य पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार पूंजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियों से सम्बन्धित आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिये। यदि उक्त आंकड़े मेल नही खाते हैं, तो सम्बन्धित पीएसयू एवं वित्त विभाग को अन्तर का मिलान करना चहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2021 को 66 पीएसयू (59 सरकारी कम्पनियाँ, दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और पाँच सांविधिक निगम) के सम्बन्ध में ऐसे अन्तर विद्यमान थे जिनका विवरण ***परिशिष्ट–5.5*** में है एवं **तालिका 5.5** में संक्षेपित है।

तालिका 5.5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के सापेक्ष वित्त लेखाओं के अनुसार पूंजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

मद के सम्बन्ध में अदत्त	क्षेत्र	राज्य पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार धनराशि	वित्त लेखाओं के अनुसार धनराशि	अन्तर
पूंजी	ऊर्जा क्षेत्र	32,290.91	29,467.94	2,822.97
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	6,272.72	6,184.92	87.80
	योग	**38,563.63**	**35,652.86**	**2,910.77**
ऋण	ऊर्जा क्षेत्र	64.65	0.00	64.65
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	7,649.29	3,531.60	4,117.69
	योग	**7,713.94**	**3,531.60**	**4,182.34**
प्रत्याभूतियाँ	ऊर्जा क्षेत्र	28,171.54	28,805.76	(-)634.22
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	3,955.23	3,548.44	406.79
	योग	**32,126.77**	**32,354.20**	**(-)227.43**

स्रोतः पीएसयू से प्राप्त सूचनायें एवं वित्त लेखे।

आंकड़ों के अन्तर गत कई वर्षों से विद्यमान है। अन्तर के समाधान हेतु लेखापरीक्षा द्वारा सम्बन्धित पीएसयू एवं विभागों के साथ इस मुद्दे को समय–समय पर उठाया गया है। दो ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू[56] एवं पाँच ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू[57] के शेष राशि में बड़े अन्तर पाये गये हैं।

[56] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड।

[57] दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड एवं नोएडा इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड।

5.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रतिफल

5.3.1 लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

2018–19 से 2020–21 के दौरान पीएसयू द्वारा अर्जित लाभ[58] को **चार्ट 5.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.3: पीएसयू द्वारा अर्जित लाभ

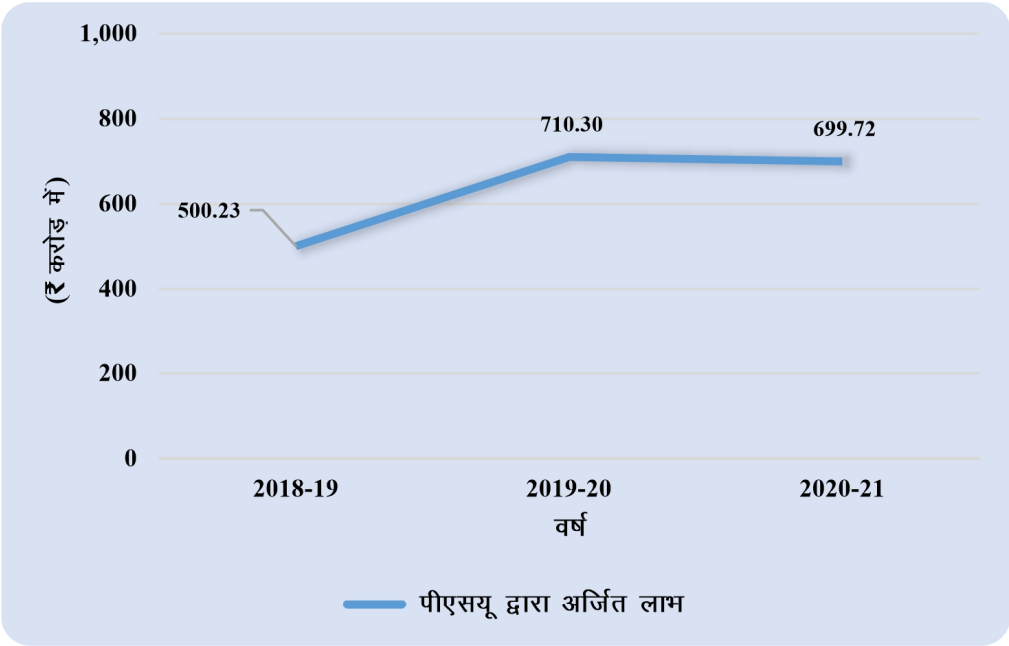

2018–19 में कुल 38 पीएसयू में से, 18 पीएसयू ने लाभ अर्जित किया। 2020–21 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू की संख्या बढ़कर 22 हो गई। लाभ कमाने वाले पीएसयू ने 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान क्रमशः ₹ 500.23 करोड़, ₹ 710.30 करोड़ एवं ₹ 699.72 करोड़ का लाभ अर्जित किया। पीएसयू के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 2020–21 के दौरान उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन (₹ 351.89 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 116.91 करोड़) शीर्ष लाभ कमाने करने वाले पीएसयू थे ***(परिशिष्ट–5.1)***।

5.3.2 लाभांश का भुगतान

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति (अक्तूबर 2002) तैयार की थी जिसके तहत लाभ में चल रहे पीएसयू को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गयी अंश पूंजी पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत के प्रतिफल का भुगतान करना होता है।

पीएसयू जिसमें जीओयूपी द्वारा अंशपूंजी का निवेश किया गया था के द्वारा 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान लाभांश के भुगतान को **तालिका 5.6** में दर्शाया गया है।

[58] 30 नवम्बर 2020–21 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

तालिका 5.6: वर्ष 2018–19 से 2020–21 के दौरान पीएसयू द्वारा लाभांश का भुगतान

वर्ष के दौरान	कुल पीएसयू जिनमें जीओयूपी द्वारा अंशपूंजी का निवेश किया गया है		वर्ष के दौरान लाभ में चल रहे पीएसयू		पीएसयू जिनके द्वारा वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/प्रदत्त किया गया		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत में)
	पीएसयू की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित अंशपूंजी (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित पूंजी (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	पीएसयू द्वारा लाभांश की घोषणा/प्रदत्त (₹ करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/5*100)
I. ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू							
2018-19	4	1,17,911.92	1	12,305.55	-	-	-
2019-20	4	1,26,160.75	2	30,776.70	-	-	-
2020-21	4	1,34,515.87	-	-	-	-	-
II. ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू							
2018-19	11	2,173.58	7	888.89	3[59]	0.39	0.04
2019-20	11	2,496.95	2	10.59	1[60]	0.02	0.19
2020-21	11	2,841.40	1	0.05	-	-	-

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड 2018–19 एवं 2019–20 में लाभ में चल रहा था जबकि 2019–20 में उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड लाभ में चल रहा था। तथापि, इन कम्पनियों ने जीओयूपी को कोई भी लाभांश घोषित/प्रदत्त नही किया था। अग्रेतर, ऊर्जा क्षेत्र के किसी भी पीएसयू ने वर्ष 2020–21 (30 नवम्बर 2021 तक) हेतु अपने लेखाओं को अन्तिमीकृत नही किया था।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के सम्बन्ध में, 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान लाभ में चल रहे पीएसयू की संख्या एक से लेकर सात के मध्य थी। 2018–19 से 2019–20 की अवधि के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार को लाभांश घोषित/प्रदत्त करने वाले पीएसयू की संख्या एक से तीन के मध्य थी। ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त एक पीएसयू यथा उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद ने वर्ष 2020–21 के लिए अपने लेखाओं को अन्तिमीकृत किया एवं लाभ अर्जित किया, जबकि कम्पनी द्वारा कोई भी लाभांश घोषित नही किया गया।

इस प्रकार, किसी पीएसयू ने 2020–21 में जीओयूपी को कोई लाभांश घोषित/प्रदत्त नहीं किया।

5.4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण (ऋण शोधन)

2018–19 से 2020–21 के दौरान पीएसयू के दीर्घावधि ऋणों जिनमें सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों आदि की ब्याज देयताएं थीं, का विश्लेषण पीएसयू द्वारा धारित ऋणों के भुगतान की क्षमता का आंकलन करने के लिए किया गया। इसे ब्याज व्याप्ति अनुपात के माध्यम से आंकलित किया जाता है।

5.4.1 ब्याज व्याप्ति अनुपात

ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज

[59] उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड।

[60] उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड।

का भुगतान करने की क्षमता उतनी कम होगी। एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी अपने ब्याज के व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। पीएसयू जिनमें 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान बकाया ऋण थे, से सम्बंधित ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण **तालिका 5.7** में दिया गया है।

तालिका 5.7: दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज के दायित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष के दौरान	पीएसयू का प्रकार	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या जिनमें ऋणों पर ब्याज की देयता है	पीएसयू की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है	पीएसयू की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू						
2018-19	सभी सरकारी कम्पनियाँ	6,405.53	152.90	8	1	7
2019-20	सभी सरकारी कम्पनियाँ	4,733.42	1,699.28	6	1	5
2020-21	सभी सरकारी कम्पनियाँ	4,733.42	1,699.28	6	1	5
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू						
2018-19	सरकारी कम्पनियाँ	24.07	(-)42.69	5	2	3
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	0.02	0.48	1	1	-
	सांविधिक निगम	-	-	-	-	-
	योग	**24.09**	**(-)42.21**	**6**	**3**	**3**
2019-20	सरकारी कम्पनियाँ	90.72	(-)240.24	5	2	3
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	0.04	(-)0.24	1	-	1
	सांविधिक निगम	-	-	-	-	-
	योग	**90.76**	**(-)240.48**	**6**	**2**	**4**
2020-21	सरकारी कम्पनियाँ	113.38	(-)283.01	5	2	3
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	0.04	(-)0.24	1	-	1
	सांविधिक निगम	-	-	-	-	-
	योग	**113.42**	**(-)283.25**	**6**	**2**	**4**

2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में, छः से आठ पीएसयू जिनमें ब्याज सहित ऋण की देयता थी, केवल एक पीएसयू[61] का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था जबकि शेष पाँच से सात पीएसयू में ब्याज व्याप्ति अनुपात ऋणात्मक/एक से कम था। यह इंगित करता है कि ये पीएसयू ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने तक के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नही कर सके।

2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त छः पीएसयू जिनमें ऋण की देयता थी, 2018–19 में तीन पीएसयू[62] में एवं 2019–20 एवं 2020–21 में दो पीएसयू[63] में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था। तीन से चार पीएसयू का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था जो यह इंगित करता है कि ये पीएसयू ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।

---

[61] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

[62] दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड, श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड एवं अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड।

[63] दि प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड एवं श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड।

5.4.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

31 मार्च 2021 को, जीओयूपी द्वारा पाँच पीएसयू को प्रदान किये गए दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 594.16 करोड़ का ब्याज बकाया था। पीएसयू में जीओयूपी के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण **तालिका 5.8** में दिया गया है।

तालिका 5.8: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

पीएसयू का नाम	31 मार्च 2021 को ऋण पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम बकाया	एक से तीन वर्षों का बकाया	तीन वर्षों से अधिक का बकाया
I. ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू				
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	235.97	10.60	21.19	204.18
उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	240.59	54.85	122.07	63.67
उप योग (I)	**476.56**	**65.45**	**143.26**	**267.85**
II. ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू				
दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	32.88	-	-	32.88
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	51.46	2.16	6.47	42.83
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	33.26	4.75	12.08	16.43
उप योग (II)	**117.60**	**6.91**	**18.55**	**92.14**
कुल योग	**594.16**	**72.36**	**161.81**	**359.99**

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि ₹ 594.16 करोड़ की कुल ब्याज राशि में से ₹ 359.99 करोड़ तीन वर्ष से अधिक से बकाया है जो यह दर्शाता है कि ये पीएसयू नियमित रूप से ब्याज का भुगतान नही कर रहे थे।

5.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रचालन दक्षता

5.5.1 पीएसयू में नियोजित पूंजी एवं कुल सम्पत्ति के सापेक्ष टर्नओवर

31 मार्च 2021 को समाप्त विगत तीन वर्षों के लिए ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के सम्बन्ध में टर्नओवर, कुल सम्पत्ति एवं नियोजित पूंजी का मूल्य **तालिका 5.9** में दिया गया है।

तालिका 5.9: ऊर्जा क्षेत्र एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का टर्नओवर, सम्पत्ति एवं नियोजित पूंजी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएसयू का प्रकार	पीएसयू की संख्या	टर्नओवर	कुल सम्पत्ति	नियोजित पूंजी
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू					
2018-19	**सरकारी कम्पनियाँ**	**11**	61,857.13	2,99,516.08	27,311.01
2019-20		**11**	66,378.02	3,29,501.90	30,222.96
2020-21		**11**	66,378.02	3,29,501.90	30,222.96
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू					
2018-19	**सरकारी कम्पनियाँ**	13	1,365.79	18,184.78	10,358.93
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	11	199.12	3,085.30	1,820.46
	सांविधिक निगम	3	5,751.44	22,521.78	6,506.44
	योग	**27**	**7,316.35**	**43,791.86**	**18,685.83**

वर्ष	पीएसयू का प्रकार	पीएसयू की संख्या	टर्नओवर	कुल सम्पत्ति	नियोजित पूंजी
2019-20	सरकारी कम्पनियाँ	13	1,534.55	18,929.72	11,229.64
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	11	24.73	6,669.90	5,412.32
	सांविधिक निगम	3	5,192.22	24,480.48	6,545.38
	योग	**27**	**6,751.50**	**50,080.10**	**23,187.34**
2020-21	सरकारी कम्पनियाँ	13	1,447.41	20,504.85	12,485.02
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	11	24.73	6,731.43	5,429.74
	सांविधिक निगम	3	5,192.22	24,480.48	6,545.38
	योग	**27**	**6,664.36**	**51,716.76**	**24,460.14**
2018-19	**सभी पीएसयू**	**38**	69,173.48	3,43,307.94	45,996.84
2019-20	**सभी पीएसयू**	**38**	73,129.52	3,79,582.00	53,410.30
2020-21	**सभी पीएसयू**	**38**	73,042.38	3,81,218.66	54,683.10

अध्याय में सम्मिलित 38 पीएसयू में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 में टर्नओवर में सीमान्त कमी थी जबकि नियोजित पूंजी एवं कुल सम्पत्ति में बढ़त थी। टर्नओवर, कुल सम्पत्ति एवं नियोजित पूंजी का पीएसयूवार विवरण ***परिशिष्ट–5.1*** में दिया गया है।

ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू के सम्बन्ध में, विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 में टर्नओवर, कुल सम्पत्ति एवं नियोजित पूंजी में बढ़त थी। यह बढ़त मुख्य रूप से मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के टर्नओवर में वृद्धि एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के कुल सम्पत्ति एवं नियोजित पूंजी में वृद्धि के कारण थी।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 27 पीएसयू के सम्बन्ध में, विगत वर्षों की तुलना में 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान कुल सम्पत्ति एवं नियोजित पूंजी में बढ़त की प्रवृत्ति दिखाई दी जबकि टर्नओवर में कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी। कुल सम्पत्ति एवं नियोजित पूंजी में बढ़त मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड एवं नोएडा इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड के कुल सम्पत्ति और नियोजित पूंजी में वृद्धि के कारण थी जबकि टर्नओवर में कमी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड के टर्नओवर में कमी के कारण थी।

5.5.2 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी पूंजी के नियोजन की दक्षता को मापता है।

आरओसीई की गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूंजी[64] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू (सभी सरकारी कम्पनियाँ) के आरओसीई का विवरण **तालिका 5.10** में दिया गया है।

[64] नियोजित पूंजी = प्रदत्त अंश पूंजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घवधि ऋण – संचित हानियाँ – आस्थगित आयगत व्यय।

तालिका 5.10: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू			
2018-19	(-)8,093.59	27,311.01	(-)29.63
2019-20	(-)1,539.02	30,222.96	(-)5.09
2020-21	(-)1,539.02	30,222.96	(-)5.09

2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का कुल आरओसीई (–)5.09 प्रतिशत से (–)29.63 प्रतिशत के मध्य था।

2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 27 पीएसयू (13 सरकारी कम्पनियाँ, 11 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ, एवं तीन सांविधिक निगम) के आरओसीई का विवरण **तालिका 5.11** में दिया गया है।

तालिका 5.11: ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	पीएसयू का प्रकार	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2018-19	सरकारी कम्पनियाँ	27.39	10,358.93	0.26
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	(-)447.15	1,820.46	(-)24.56
	सांविधिक निगम	277.27	6,506.44	4.26
	योग	(-)**142.49**	**18,685.83**	(-)**0.76**
2019-20	सरकारी कम्पनियाँ	(-)131.53	11,229.64	(-)1.17
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	26.32	5,412.32	0.49
	सांविधिक निगम	91.40	6,545.38	1.40
	योग	(-)**13.81**	**23,187.34**	(-)**0.06**
2020-21	सरकारी कम्पनियाँ	(-)173.58	12,485.02	(-)1.39
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	11.43	5,429.74	0.21
	सांविधिक निगम	91.40	6,545.38	1.40
	योग	(-)**70.75**	**24,460.14**	(-)**0.29**

स्रोत: 30 नवम्बर 2021 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित आंकड़े।

2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का कुल आरओसीई (–)0.06 प्रतिशत एवं (–)0.76 प्रतिशत के मध्य था। 2018–19 के दौरान सरकारी कम्पनियों का आरओसीई 0.26 प्रतिशत था तथा 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान ये ऋणात्मक था। वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों का आरओसीई क्रमशः 0.49 प्रतिशत और 0.21 प्रतिशत था एवं 2018–19 के दौरान यह ऋणात्मक था। जबकि, 2018–19 से 2020–21 के दौरान सांविधिक निगमों का आरओसीई सकारात्मक रहा एवं यह 1.40 प्रतिशत एवं 4.26 प्रतिशत के मध्य था।

2018–19 से 2020–21 के दौरान नियोजित पूंजी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 6,509.65 करोड़ से ₹ 8,073.06 करोड़) एवं नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 2,557.59 करोड़ से ₹ 3,030.83 करोड़) में हुयी महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के सरकारी कम्पनियों का आरओसीई 0.26 प्रतिशत से घटकर (–)1.39 प्रतिशत हो गया।

5.5.3 पूंजी पर प्रतिफल

पूंजी पर प्रतिफल (आरओई)[65] एक कम्पनी के वित्तीय निष्पादन की माप है इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात करों के बाद शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों के कोष से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है एवं किसी भी कम्पनी के लिए जिसके शेयरधारकों का कोष सकारात्मक है, इसकी गणना की जा सकती है।

वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान इस अध्याय में सम्मिलित ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू (सभी सरकारी कम्पनियाँ) का आरओई **तालिका 5.12** में दिया गया है।

तालिका 5.12: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में पूंजी पर प्रतिफल

		2018-19	2019-20	2020-21
सरकारी कम्पनियाँ	वर्ष की शुद्ध आय	(-)14,537.38	(-)6,499.10	(-)6,499.10
	शेयरधारकों का कोष	(-)52,131.87	(-)50,030.35	(-)50,030.35
	आरओई (प्रतिशत में)	-	-	-

स्रोतः 30 नवम्बर 2021 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित आंकड़े।

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के सम्बन्ध में मार्च 2021 को समाप्त विगत तीन वर्षों की अवधि के दौरान शुद्ध आय एवं शेयरधारकों का कोष दोनो ऋणात्मक रहे। इन वर्षों के सम्बन्ध में आरओई की गणना नही की जा सकी क्योंकि शेयरधारकों का कोष नकारात्मक था जो इंगित करता है कि इन पीएसयू की देयताओं ने सम्पूर्ण अंश पूंजी को समाप्त कर दिया है।

वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान इस अध्याय में सम्मिलित ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 27 पीएसयू (13 सरकारी कम्पनियाँ, 11 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम) का आरओई **तालिका 5.13** में दिया गया है।

तालिका 5.13: ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू में पूंजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

		2018-19	2019-20	2020-21
सरकारी कम्पनियाँ	वर्ष की शुद्ध आय/कुल उपार्जन	(-)8.28	(-)242.22	(-)306.93
	शेयरधारकों का कोष	3,341.69	3,487.27	3,823.97
	आरओई (प्रतिशत में)	(-)0.25	(-)6.95	(-)8.03
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	वर्ष की शुद्ध आय/कुल उपार्जन	(-)450.69	14.27	3.01
	शेयरधारकों का कोष	1,820.39	1,804.90	1,822.32
	आरओई (प्रतिशत में)	(-)24.76	0.79	0.17
सांविधिक निगम	वर्ष की शुद्ध आय/कुल उपार्जन	277.27	91.40	91.40
	शेयरधारकों का कोष	6,464.72	6,503.66	6,503.66
	आरओई (प्रतिशत में)	4.29	1.41	1.41
योग	**वर्ष की शुद्ध आय/कुल उपार्जन**	(-)**181.70**	(-)**136.55**	(-)**212.52**
	शेयरधारकों का कोष	**11,626.80**	**11,795.83**	**12,149.95**
	आरओई (प्रतिशत में)	(-)**1.56**	(-)**1.16**	(-)**1.75**

स्रोतः 30 नवम्बर 2021 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित आंकड़े

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के सम्बन्ध में, वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान कुल आरओई एवं सरकारी कम्पनियों का आरओई ऋणात्मक था। तथापि, सांविधिक निगमों का आरओई सकारात्मक रहा एवं यह 1.41 प्रतिशत और 4.29

[65] पूंजी पर प्रतिफल = (कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/पूंजी) x 100 जबकि पूंजी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त संचय – संचित हानि – आस्थगित आयगत व्यय।

प्रतिशत के मध्य था। वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों का आरओई क्रमशः 0.79 प्रतिशत एवं 0.17 प्रतिशत था एवं वर्ष 2018–19 में यह ऋणात्मक था।

5.6 हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

5.6.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वहन की गई हानि

वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वहन की गई हानि को **चार्ट 5.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.4: पीएसयू द्वारा वहन की गयी हानि

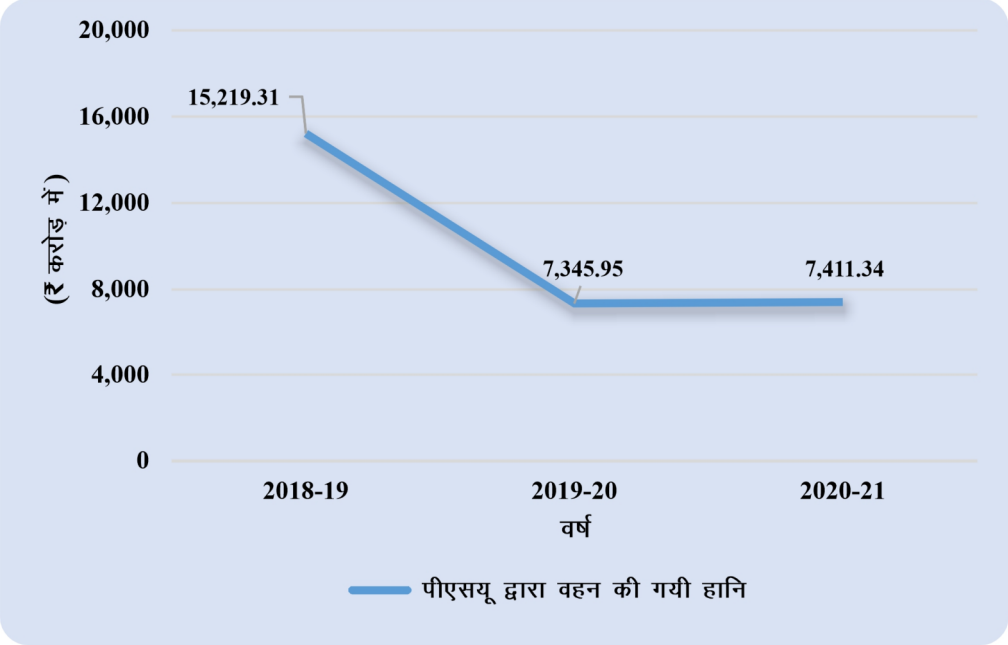

अध्याय में सम्मिलित कुल 38 पीएसयू में से, हानि वहन करने वाले पीएसयू की संख्या वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान 20 से घटकर 16 रह गई। इन पीएसयू को वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान क्रमशः ₹ 15,219.31 करोड़, ₹ 7,345.95 करोड़ एवं ₹ 7,411.34 करोड़ की हानि हुई। पीएसयू के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, शीर्ष हानि वहन करने वाले पीएसयू उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 3,158.92 करोड़), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (1,204.30 करोड़) एवं पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,067.87 करोड़) ***(परिशिष्ट–5.1)*** थे।

5.6.2 निवल मूल्य का क्षरण

प्रदत्त पूंजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष के योग में से संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर निवल मूल्य आता है। वास्तव में यह एक माप है कि उपक्रम स्वामियों के लिए कितना मूल्यवान है। ऋणात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि स्वामियों का सम्पूर्ण निवेश संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय के कारण लुप्त हो गया है।

तालिका 5.14, 30 नवम्बर 2021 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू (सभी सरकारी कम्पनियाँ) के प्रदत्त पूंजी, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य को इंगित करती है।

तालिका 5.14: वर्ष 2018–19 से 2020–21 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अन्त में संचित लाभ (+)/हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)
2018-19	1,17,724.33	(-)1,69,856.02	0.18	(-)52,131.87
2019-20	1,25,973.16	(-)1,76,003.33	0.18	(-)50,030.35
2020-21	1,25,973.16	(-)1,76,003.33	0.18	(-)50,030.35

31 मार्च 2021[66] को, ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू की कुल संचित हानि ₹ 1,76,003.33 करोड़ थी। इनमें से, सात पीएसयू को उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 6,969.96 करोड़ की हानि हुई। अग्रेतर, चार पीएसयू ने उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 470.86 करोड़ का लाभ अर्जित किया। चार लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू में से, दो पीएसयू[67] का संचित लाभ ₹ 1,294.79 करोड़ जबकि दो पीएसयू[68] की संचित हानि ₹ 808.18 करोड़ थी।

संचित हानि के कारण ऊर्जा क्षेत्र के छः पीएसयू के निवल मूल्य का पूरी तरह से क्षरण हो गया था। 31 मार्च 2021 को इन छः पीएसयू[69] में ₹ 76,465.59 करोड़ के पूंजी निवेश के विरूद्ध निवल मूल्य (–)₹ 84,086.46 करोड़ था ***(परिशिष्ट 5.1)***। पाँच[70] में से दो[71] पीएसयू, जिनका निवल मूल्य मार्च 2021 के अन्त में सकारात्मक था, उनका निवल मूल्य प्रदत्त पूंजी के आधे से कम था, जो उनकी संभावित वित्तीय रूग्णता को दर्शाता है।

तालिका 5.15, 30 नवम्बर 2021 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 27 पीएसयू (13 सरकारी कम्पनियाँ, 11 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम) के प्रदत्त पूंजी, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य को इंगित करती है।

तालिका 5.15: 2018–19 से 2020–21 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएसयू का प्रकार	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अन्त में संचित लाभ (+)/हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)
2018-19	**सरकारी कम्पनियाँ**	3,696.31	(-)354.62	0.00	3,341.69
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	1,506.66	314.20	0.47	1,820.39
	सांविधिक निगम	926.19	5,538.53	0.00	6,464.72
	योग	**6,129.16**	**5,498.11**	**0.47**	**11,626.80**

[66] 30 नवम्बर 2020–21 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

[67] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

[68] उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड एवं यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड।

[69] पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड एवं यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड।

[70] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड एवं मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

[71] उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

वर्ष	पीएसयू का प्रकार	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अन्त में संचित लाभ (+)/हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2019-20	**सरकारी कम्पनियाँ**	4,102.52	(-)615.25	0.00	3,487.27
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	1,506.66	298.45	0.21	1,804.90
	सांविधिक निगम	926.19	5,577.47	0.00	6,503.66
	योग	**6,535.37**	**5,260.67**	**0.21**	**11,795.83**
2020-21	**सरकारी कम्पनियाँ**	4,846.32	(-)1,022.35	0.00	3,823.97
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	1,506.66	315.87	0.21	1,822.32
	सांविधिक निगम	926.19	5,577.47	0.00	6,503.66
	योग	**7,279.17**	**4,870.99**	**0.21**	**12,149.95**

31 मार्च 2021 को ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 27 पीएसयू में से, नौ पीएसयू को ₹ 2,678.47 करोड़ की संचित हानि हुई थी। नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, इन नौ पीएसयू में से, पाँच पीएसयू को ₹ 428.77 करोड़ की हानि हुई एवं चार पीएसयू ने ₹ 56.85 करोड़ का लाभ अर्जित किया, हालांकि उनमें ₹ 1,425.90 करोड़ की संचित हानि थी।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त छः[72] पीएसयू के निवल मूल्य का संचित हानि के कारण पूर्ण रूप से क्षरण हो गया एवं 31 मार्च 2021 को ₹ 1,157.52 करोड़ पूंजी निवेश के सापेक्ष उनका निवल मूल्य (–)₹ 561.47 करोड़ था। तथापि, छः पीएसयू में से जिनके निवल मूल्य का क्षरण हो गया था, तीन[73] पीएसयू ने उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 56.46 करोड़ का लाभ अर्जित किया जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अर्जित ₹ 39.85 करोड़ का लाभ सम्मिलित था।

5.7 निष्कर्ष

- 31 मार्च 2021 को, 38 पीएसयू जिनका वित्तीय निष्पादन इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है, में कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,72,542.84 करोड़ था। निवेश में 53.08 प्रतिशत की पूंजी एवं 46.92 प्रतिशत का दीर्घावधि ऋण शामिल है। उसमें से, इन पीएसयू में जीओयूपी ने ₹ 1,42,978.52 करोड़ का निवेश किया है जिसमें पूंजी ₹ 1,37,357.27 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 5,621.25 करोड़ है।
- वर्ष 2020–21 तक, उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार 38 पीएसयू में से 22 पीएसयू ने ₹ 699.72 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं 16 पीएसयू ने ₹ 7,411.34 करोड़ की हानि वहन की। उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 351.89 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 116.91 करोड़) मुख्य लाभ कमाने वाले पीएसयू थे। उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 3,158.92 करोड़), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,204.30 करोड़) एवं पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,067.87 करोड़) मुख्य हानि वहन वाले पीएसयू थे।

---

[72] दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड, आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नोएडा इन्टरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।

[73] यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड, दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड एवं नोएडा इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड।

- 31 मार्च 2021 को, 66 पीएसयू के पूंजी, ऋण एवं प्रत्याभूति में अन्तर था। आंकड़ों के बीच यह अन्तर विगत कई वर्षों से बना हुआ है, यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा समय–समय पर सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं विभागों के साथ अन्तरों के मिलान का मामला भी उठाया गया था।
- 2020–21 के दौरान 12 पीएसयू जिनमें ब्याज सहित ऋण देयताएं थीं, में से नौ पीएसयू में ब्याज व्याप्ति अनुपात ऋणात्मक (1 से कम) था जो यह इंगित करता है कि ये पीएसयू ब्याज पर खर्चों की पूर्ति हेतु तक पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।
- संचित हानि के कारण 12 पीएसयू के निवल मूल्य का पूर्ण रूप से क्षरण हो गया। इन पीएसयू में, ₹ 77,623.11 करोड़ के पूंजी निवेश के विरूद्ध इन पीएसयू का निवल मूल्य (–)₹ 84,647.93 करोड़ था।

5.8 *संस्तुतियाँ*

- *उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग एवं सम्बन्धित पीएसयू को पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार एवं जीओयूपी के वित्त लेखे के अनुसार पूंजी, ऋण एवं बकाया प्रत्याभूति के आंकड़ों के मध्य अन्तर का समयबद्ध तरीके से मिलान करना चाहिए।*
- *राज्य सरकार को हानि वहन करने वाले पीएसयू के निष्पादन की समीक्षा करना चाहिए एवं इन पीएसयू में सावधानीपूर्वक निवेश करना चाहिए।*